रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1723] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 12, 2016/आ"ाढ़ 21, 1938
No. 1723] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 12, 2016/ASADHA 21, 1938

Indiacode

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2016

का.आ. 2363(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 (1993 का 73) की धारा 4 के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड -3, उपखंड (ii) में प्रकाशित, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) की अधिसूचना संख्याक का. आ. 1109(अ), तारीख 1 मई, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्

उक्त अधिसूचना में "धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (ण)" शीर्षक के अन्तर्गत क्रम सं. 38 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टयां रखी जाएंगी, अर्थात्

"38. प्रोफेसर एम.वी. राजीव गौड़ा —सदस्य
संसद सदस्य (राज्य सभा)
सी-1/12, लोदी गार्डन,
राजेश पायलेट मार्ग,
नई दिल्ली-110003 (दिल्ली का पता)

1361, 9वां क्रास रोड,
जे.पी. नगर, प्रथम फेज,
बंगलौर-560078 (स्थायी पता)"

[फा. सं. 26-67/2009-ईई-10 (भाग)]
जे. आलम, संयुक्त सचिव

टिप्पणीः- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड -3, उपखंड (ii) में का. आ. संख्यक 1109(अ), तारीख 1 मई, 2013 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education And Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2016

S. O. 2363(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (4) of section 3 read with section 4 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Human Resource Development (Department of School Education and Literacy) number S.O. 1109(E), dated the 1st May, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (ii) vide No. S.O. 1109(E), dated the 1st May, 2013, namely:-

In the said notification, under the heading, Clause (o) of sub-section (4) of section 3, for serial number 38 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"38. Prof. M.V. Rajeev Gowda, - Member
Member of Parliament (Rajya Sabha)
C-1/12, Lodi Gardens,
Rajesh Pilot Marg,
New Delhi-110003 (Delhi address)

1361, 9th Cross Road,
J.P. Nagar, 1st Phase,
Bangalore- 560078 (Permanent address)".

[F. No. 26-67/2009-EE-10(Pt)]

J. ALAM, Jt. Secy.

Note:—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide, number S.O. 1109(E), dated 1st May, 2013.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.